योजना एवं विकास विभाग
प्राप्ति शाखा
पत्रांक 7586
दिनांक 3-7-25

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि० / स्था०17–37 / 18 122 / पटना, दिनांकः– 02/07/25

कार्यालय आदेश

श्री दुर्गादत्त झा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी गोदाम प्रबंधक, सी०एम०आर० सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, छातापुर प्रखंड, सुपौल के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक–705 / रा०खा०नि० दिनांक–04.05.2023 एवं पत्रांक–1900 / रा०खा०नि० दिनांक–31.12.2024 द्वारा आरोप पत्र अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया।

श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के द्वितीय भाग अवाचार या कदाचार के लांछनों का सार एवं तृतीय भाग अवाचार के लांछनों का अभिकथन में श्री झा खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अंतर्गत सी०एम०आर० सहायक गोदाम प्रबंधक, नोखा सं०–06 पर प्रतिनियुक्त थे। जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के ज्ञापांक–668 / आ० दिनांक–22.06.2018 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अंतर्गत सी०एम०आर० चावल गोदामों का भौतिक सत्यापन के दौरान वायदा आधारित अधिप्राप्ति के कारण कुल 4514.83 क्विंटल सी०एम०आर० चावल में अंतर पाया गया। कालांतर में इनके द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल 4489.04 क्विंटल चावल का समायोजन किया गया एवं शेष 25.79 क्विंटल चावल को समायोजित नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

बिहार वित्त नियमावली के नियम–34 के अनुसार किसी सरकारी सेवक के द्वारा किये गये कृत्य से राज्य सरकार को हुई वित्तीय हानि की भरपाई संबंधित कर्मी से की जायेगी।

श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय के पत्रांक–156 दिनांक–29.01.2025 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र पर आरोपी कर्मी से अभ्यावेदन / अभिकथन की मांग की गयी।

अधिरोपित पदाधिकारी श्री झा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इन्होंने राज्य खाद्य निगम को 25.79 क्विंटल धान की हुई क्षति के एवज में इन्होंने कुल 84184.49(चौरासी हजार एक सौ चौरासी रूपये उनचास पैसे) रूपये निगम को जमा करा दिया गया है। इनकी यह स्वीकारोक्ति इनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये अपने कार्यों के प्रति लापरवाह थे।

समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि श्री दुर्गादत्त झा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी गोदाम प्रबंधक, सी०एम०आर० सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, छातापुर प्रखंड, सुपौल द्वारा सरकार को पहुँचाई गई आर्थिक क्षति की भरपाई इनके द्वारा की जा चुकी है लेकिन इनके विरूद्ध मात्र कर्त्तव्य में लापरवाही का मामला बनता है।

अतएव श्री दुर्गादत्त झा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी गोदाम प्रबंधक, सी०एम०आर० सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, छातापुर प्रखंड, सुपौल को

भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए इन्हें चेतावनी दी जाती है तथा इसकी प्रविष्टि इनकी सेवापुस्त में की जाय।

ह०/–

(रणजीत कुमार)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–37/18 1121 /पटना, दिनांकः– 02/07/25

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक–1900/रा०खा०नि० दिनांक–31.12.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. श्री दुर्गादत्त झा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी गोदाम प्रबंधक, सी०एम०आर० सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, छातापुर प्रखंड, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक